न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —95 / 2018 अपील (RCMS/2018/00104)
पंजीयन दिनांक —03.07.2018
निर्णय दिनांक —31.12.2018

1. श्री चतर सिंह पिता हरलाल सिंह राव, निवासी मेड़ता, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कन्ना पिता खुमा जी भील, निवासी मेड़ता हाल माधु सिंह की बडोली वाया निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री रतनलाल पिता दल्ला जी भील, निवासी बनेड़िया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
3. श्री राया पिता भेरा जी मीणा, निवासी 223 केसरपुरा, धरियावद, जिला प्रतापगढ़।
4. श्री रूपा पिता वेलिया जी मीणा, निवासी 224, केसरपुरा, धरियावद, जिला प्रतापगढ़।
5. श्रीमती रामली पत्नि श्री राया जी मीणा, निवासी 223 केसरपुरा, धरियावद, जिला प्रतापगढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1 से 5

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या 87 / 2014 दिनांक 08.06.2018

निर्णय

दिनांक 31.12.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या 87 / 2014 दिनांक 08.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व ग्राम नाहर मगरा, तहसील मावली में आराजी नम्बर 1767 रकबा 4.00 बीघा स्थित है, जो कन्ना पिता खुमा निवासी मेडता के खातेदारी की थी। उक्त आराजी को रेस्पोडेंट संख्या–1 श्री कन्ना ने अपीलान्ट को दिनांक 13.03.1982 से रहन रखा एवं लिखा पढ़ी कर तय किया कि अगर तय अवधि में रहन की रकम अदा नहीं की जावेगी तो विक्रय माना जावेगा। तब से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा रहा। उक्त आराजी का रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–2 को विक्रय कर दिया और नामान्तरकरण संख्या–6091 स्वीकृत करा लिया। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर विवाद होने से दिनांक 05.02.2018 को निरस्त कर दिया। जिसकी अपील श्री रतनलाल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली में द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.06.2008 से प्रकरण को तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिये गये कि प्रकरण में अजेररेनो सुनवाई की जाकर निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार, मावली प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। जिस अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा अपीलीय आदेश से बाद सुनवाई एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेंट संख्या–2 के पक्ष में अभिलेख में दर्ज किये जाने की स्वीकृति निर्णय दिनांक 24.11.2018 से दी। अपीलार्थी श्री चतरसिंह द्वारा उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर उक्त जमीन पर कब्जे के आधार पर उक्त निर्णय की जानकारी होते ही जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष कब्जा सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 08.06.2018 से अपील खारिज की गई।

उक्त निर्णय दिनांक 08.06.2018 से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 5 उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील रेस्पोडेंटस् की एकतरफा बहस दिनांक 18.12.2018 को सुनी गई। वकील अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया परन्तु लिखित बहस अप्राप्त।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने बहस में बताया कि मौजा नाहर मगरा की उक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–2 को दिनांक 02.11.2017 को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 6091 को मौके पर विवाद होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त किया गया। जिसकी अपील

उपखण्ड अधिकारी, मावली समक्ष किये जाने पर प्रकरण तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित किया गया। तहसीलदारा, मावली द्वारा प्रकरण संख्या 01/2008 दर्ज कर पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी कर पटवारी हल्का नाहरमगरा से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारानों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का क्रेता के नाम पुनः नामान्तरकरण खोलकर अभिलेख में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आराजी का मूल खातेदार कन्ना पिता खुमा भील एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। जिसकी भूमि अपीलान्ट जबरन येन केन प्रकारेण हडपना चाहता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट राजपूत जाति का व्यक्ति है यानि स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार स्वर्ण जाति का व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति के किसी खातेदारी अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जो या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शुन्य होगी। धारा 43(2) के अनुसार रहन की अवधि 5 वर्ष ही बताई है तथा धारा 43(3) के अनुसार ऐसा बंधक कालावधि समाप्त होने बाद बिना किसी संदाय के पूर्ण रूप से उन्मोचित समझा जावेगा। यदि उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष में रहन भी मानी जाती है तो रहन स्वतः समाप्त हो जाता है। अपीलान्ट द्वारा कब्जा सम्बन्धित प्रस्तुत दस्तावेजों को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–3 उदयपुर द्वारा भी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में लिये गये संज्ञान में विधि विरूद्ध माना है। उक्त सभी परिस्थितियों पर पूर्णतया विचार एवं जांच करने बाद अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय से अपील अपीलान्ट खारिज की जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अन्त में विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् द्वारा अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि मौजा नाहर मगरा की उक्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–2 को दिनांक 02.11.2017 को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 6091 को मौके पर विवाद होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा निरस्त किया गया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी, मावली समक्ष किये जाने पर प्रकरण तहसीलदार, मावली को प्रतिप्रेषित किया गया। तहसीलदारा, मावली द्वारा प्रकरण संख्या 01/2008 दर्ज कर पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी कर पटवारी हल्का नाहरमगरा से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकारानों के आधार पर वादग्रस्त आराजी का क्रेता के नाम पुनः नामान्तरकरण खोलकर अभिलेख में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त विक्रय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति रतनलाल को किया गया है व भौतिक रूप से कब्जा सिपुर्द किये जाने विक्रय पत्र में उल्लेख है, जिसके आधार पर किसी कब्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट का किसी साक्ष्य सबुत से कब्जा साबित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मावली द्वारा विधिवत जांच, पटवारी रिपोर्ट एवं विक्रय पत्र के आधार पर निर्णय दिनांक 24.11.2018 पारित किया गया है।

उक्त आराजी का मूल खातेदार कन्ना पिता खुमा भील एक अनुसूचित जनजाति एवं अपीलान्ट स्वर्ण जाति का व्यक्ति है। विद्वान वकील रेस्पोडेंटस् ने दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार स्वर्ण जाति का व्यक्ति किसी भी अनुसूचित जाति के किसी खातेदारी अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जो या उसके किसी भाग में के अपने हित का विक्रय, दान या वसीयत शुन्य होगी। धारा 43(2) के अनुसार रहन की अवधि 5 वर्ष ही बताई है तथा धारा 43(3) के अनुसार ऐसा बंधक कालावधि समाप्त होने बाद बिना किसी संदाय के पूर्ण रूप से उन्मोचित समझा जावेगा। यदि उक्त भूमि अपीलान्ट के पक्ष में रहन भी मानी जाती है तो रहन स्वतः समाप्त हो जाता है। अपीलान्ट द्वारा कब्जा सम्बन्धित प्रस्तुत दस्तावेजों को माननीय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या–3 उदयपुर द्वारा भी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में लिये गये संज्ञान में विधि विरूद्ध माना है।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण विवेचना, विधिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 08.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर